उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-06/2016/56जेपी/22-5-16-08(जेवी)/16

लखनऊ : दिनांक-20 अक्टूबर, 2016

## नियुक्ति निरस्तीकरण

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-669 में निहित अधिकारों के अधीन शासानादेश संख्या-104/2016/967/22-4-15-48(5)15, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता पुत्र श्री जोगेन्दर सिंह, निवासी-231/171, कृष्णा कालोनी, जीवनी मण्डी, थाना-छत्ता, जनपद-आगरा को केन्द्रीय कारागार, आगरा का जेल विजिटर नियुक्त किया गया था।

2- सम्यक् विचारोपरान्त जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-671(ब) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता पुत्र श्री जोगेन्दर सिंह, की केन्द्रीय कारागार, आगरा में गैर सरकारी जेल विजिटर के पद पर की गयी उक्त नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

एस0के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या-06/2016/56जेपी(1)/22-5-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( डा0 गिरीश चन्द्र खरे )

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in